अत्यावश्यक
नगरपालिका आम निर्वाचन–2022

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या विविध 80–14/2020(पार्ट–3)......4261

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी बिहार राज्य।

पटना, दिनांक– 15.12.23

विषय :– **पंचायत/नगरपालिका उप निर्वाचन–2023/2024 के अवसर पर Commissioned EVM के जाँच के संबंध में।**

प्रसंग :– **आयोग का पत्रांक–3951 दिनांक–16.09.2022**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा EVM की Commissioning के समय बरती जाने वाली आवश्यक शर्तों एवं सावधानियों के संबंध में पूर्व से ही विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत है। सुलभ प्रसंग हेतु पुनः प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न की जा रही है, ताकि पंचायत/नगरपालिका उप निर्वाचन के समय EVM की Commissioning में इनका अनुपालन दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र के कंडिका–(1) में नगरपालिका हेतु EVM की Commissioning का स्थल अंकित है, परन्तु पंचायत हेतु स्थल का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में पंचायत हेतु EVM की Commissioning संबंधित प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।

पत्र के साथ संलग्न अनुबंध–1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 में नगर निकाय के नाम एवं पद के स्थान पर पंचायत के मामलों में पंचायत का नाम एवं पद अंकित किया जाएगा एवं तद्नुसार प्रपत्र में आवश्यक संशोधन अपने स्तर से कर लिया जाए। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने जिले के EVM नोडल पदाधिकारी एवं EVM कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को संलग्न दिशा निदेशों से अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(ह०) 15/12/23
सचिव।

ज्ञाप संख्या– विविध 80–14/2020(पार्ट–3)......4261 पटना, दिनांक 15.12.23
प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 15/12/23
सचिव।

ज्ञाप संख्या– विविध 80–14/2020(पार्ट–3)......4261 पटना, दिनांक 15.12.23
प्रतिलिपि– सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०) 15/12/23
सचिव।

ज्ञापांक– विविध–80–14/2020 (पार्ट–3)......4261 पटना, दिनांक–15.12.23
प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ह०) 15/12/23
सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांकः- 3951

प्रेषक,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक- 16.9.22

विषयः- नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022, ईवीएम की कमीशनिंग के चरण एवं कमीशनिंग के अवसर पर बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में।

प्रसंगः- आयोग का पत्रांक 3626, दिनांक 06.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के निमित्त नगर निकाय के तीनों पद यथा पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन M2 मॉडल के BEL निर्मित ईवीएम के माध्यम से सम्पन्न कराया जाना है। चूंकि प्रत्येक पद हेतु मतपत्र विशिष्ट होगा, अतएव ईवीएम की कमीशनिंग के अवसर पर उक्त कार्य के सफलतापूर्वक संपादन हेतु अत्यंत सूक्ष्मता के साथ इसके पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी ताकि किसी भी परिस्थिति में पद विशेष का मतपत्र दूसरे पद हेतु चिन्हित ईवीएम में प्रयुक्त एवं मिश्रित न हो। इस संबंध में कि जाने वाली कार्रवाई एवं सावधानियों का विवरण निम्न रुपेण अंकित किया जा रहा है :-

1. **प्रासंगिक पत्र अंतर्गत अंकित निदेश के अधीन ईवीएम की कमीशनिंग का कार्य जिला मुख्यालय में किया जाना था। सम्यक् विचारोपरांत आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नगर निगम के निर्वाचन से संबंधित ईवीएम की कमीशनिंग जिला मुख्यालय स्तर पर, नगर परिषद् के निर्वाचन से संबंधित ईवीएम की कमीशनिंग अनुमंडल स्तर पर एवं नगर पंचायत के निर्वाचन से संबंधित ईवीएम की तैयारी उस नगर निकाय से संबंधित प्रखण्ड मुख्यालय में निर्वाची पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जाएगा। कमीशनिंग के अवसर पर निम्नांकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा :-**

(क) निर्वाची पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षण में कमीशनिंग का कार्य कराऐंगे। त्रुटिरहित ईवीएम की कमीशनिंग की संपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाची पदाधिकारी की है।

(ख) नगर पंचायत के निर्वाची पदाधिकारी संबंधित नगर निकाय के प्रखण्ड मुख्यालय में कमीशनिंग के दौरान उपस्थित रह अपने पर्यवेक्षण में कमीशनिंग का कार्य करायेंगे।

(ग) संबंधित नगर पंचायत के मुख्यालय प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कमीशनिंग हेतु प्रथम सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रुप में प्रतिनियुक्त होंगे जो निर्वाची पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में अचूक रूप से त्रुटिरहित ईवीएम की कमीशनिंग का कार्य एवं निर्वाची पदाधिकारी को सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna-800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612-2507847 E-mail : secbihar@gmail.com

(194)

यह ध्यान रखना है वास्तविक मतदान के क्रम में खराब हुए सी.यू. में यदि एक भी मत डाला गया हो तो वह भी प्रतिस्थापित ईवीएम के साथ वज्रगृह में रखा जाएगा।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक :- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

16/9/22

सचिव।

ज्ञापांक :- पं0नि0 30-82/2021 3951 पटना, दिनांक - 16.9.22

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

16/9/22

सचिव।

ज्ञापांक :- पं0नि0 30-82/2021 3951 पटना, दिनांक - 16.9.22

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

16/9/22

सचिव।

अनुबंध–1

ईवीएम कमीशनिंग हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश

ईवीएम की कमीशनिंग हेतु अनुदेश/ मार्गदर्शन निम्नवत् है : -

1. **ईवीएम कमीशनिंग की सूचना : –** मतदान हेतु तैयार किए जाने वाले ईवीएम (BU & CU) की कमीशनिंग की तिथि, समय व स्थान की सूचना उक्त तीन पदों के अभ्यर्थियों/ उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता को लिखित दी जाएगी। यह सूचना नामनिर्देशन वापसी की अंतिम तिथि को 4:00 (चार) बजे के पश्चात् तत्काल दी जाएगी।

2. **मतपत्र की तैयारी : –** ईवीएम में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र का मुद्रण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र - 14 ख) तैयार होने के 48 घंटे के भीतर स्थानीय चिह्नित प्रेस द्वारा व्ययादेश (Indent) के अनुरुप कराया जाना है।

3. **B.U. की तैयारी के चरण (Steps)**

- ⇨ निर्वाची पदाधिकारी B.U. में मतपत्र लगाए जाने के पूर्व प्रत्येक मतपत्र के पीछे हस्ताक्षर करेंगे अथवा अपने हस्ताक्षर की अनुकृति लगाएगें।
- ⇨ B.U. के ऊपरी कवर को खोलकर एक्रिलिक स्क्रीन के नीचे मतपत्र लगाना।
- ⇨ मतपत्र को उचित ढ़ंग से इस प्रकार सीधा लगाया जाना होगा ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और उनका प्रतीक उनके लैंप एवं बटन की सीध में हो तथा मतपत्र पर अभ्यर्थियों के पैनल को विभाजित करने वाली मोटी रेखाएँ B.U. पर ठीक उनके खानों की सीध में हो।
- ⇨ स्क्रीन को पुनः बंद कर स्क्रिन पर दो दिए गए छिद्रों में धागा डालकर एड्रेस टैग लगाते हुए आर.ओ. अपनी मुहर धागे और एड्रेस टैग पर लगाकर उस सेक्शन को सील करेंगे।
- ⇨ B.U. के स्लाईड स्विच को अभ्यर्थियों की संख्या अनुरुप सेट किया जाएगा। 16 अभ्यर्थी की दशा में स्लाईड स्विच 1 पर, 17 से 32 होने पर 2 पर तथा इसी क्रम में स्लाईड स्विच सेट की जाएगी। एम2 ईवीएम के BU में चार संख्या तक स्लाईड स्विच का क्रमांक अंकित होता है। अर्थात् एक सीयू से अधिकतम 4 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है।
- ⇨ मतपत्र पर अंकित सभी अभ्यर्थी के BU मास्क बटन को खोल दिया जाएगा। उदाहरणार्थ यदि 10 ही अभ्यर्थी है तो शेष 6 बटन को ढ़ंका जाना होगा।
- ⇨ BU के सबसे निचले भाग में पिंक पेपर सील इस प्रकार लगाया जाना है कि किसी भी अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक ढ़क न जाए। पिंक पेपर सील पर निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा BEL के अभियंता हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्येक चरण में ईवीएम की कमिशनिंग के क्रम में पिंक पेपर सील नये सिरे से लगाना है।
- ⇨ अभ्यर्थी/ उनके प्रतिनिधि को भी पिंक पेपर सील के क्रम संख्या लिखने की अनुमति दी जाएगी।
- ⇨ BU की संख्या एवं पिंक पेपर सील का नंबर संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-02) में संधारित पंजी में अंकित कर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर लेने है।
- ⇨ BU के ऊपरी भाग एवं निचले भाग के छिद्र को धागा से बांधकर एड्रेस टैग लगाना है। इस प्रकार कुल 3 एड्रेस टैग बीयू में लगेंगे।
- ⇨ BU को कैरिंग बॉक्स में रख बॉक्स में भी एक एड्रेस टैग लगाना है।

(192)

4. **C.U. की तैयारी के चरण (Steps)**

⇨ CU में बैटरी लगाना।

⇨ CU के स्विच को देख लेना कि वह सही ढ़ंग से कार्य कर रहा हो।

⇨ BU को सीयू में जोड़कर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सेट करना।

⇨ अंतिम अभ्यर्थी के सामने के ब्लू बटन को दबाकर बीयू को सीयू से जोड़ने के पश्चात् कैंडिडेट सेट किया जाएगा। यदि गलती से बैलेटिंग यूनिट में गलत बटन अर्थात् 10 के स्थान पर 9 या 11 दब जाए तो पुनः कैंडिडेट सेट बटन दबाकर गलत सेटिंग में सुधार किया जा सकता है।

⇨ सीयू के Timer ठीक नहीं है तो अभियंता से उसे ठीक करा लेना है। इसी प्रकार यदि स्विच में गड़बड़ी है अथवा ग्रीन पेपर सील लगानेवाला भाग टूटा है तो तुरंत अभियंता के संज्ञान में लाना है।

⇨ Result Section के क्लीयर बटन को दबाकर मशीन में रिकार्ड किए गए मत को क्लीयर करना है। यदि Invalid display हो तो पुनः Close - Result - Clear करें।

⇨ सभी डाटा क्लियर करने एवं अभ्यर्थियों की संख्या अनुसार सीयू को सेट किए जाने के बाद पॉवर को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तथा बीयू एवं सीयू को अलग कर देना है।

⇨ CU को पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा तथा अनुबंध-3 के अनुरुप संधारित पंजी में सूचना अंकित करते हुए अभ्यर्थियों/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्राप्त करना है।

⇨ सीयू के कैंडिडेट सेक्शन को बंद कर इस प्रकार सील किया जाएगा (एड्रेस टैग में) कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति सील तोड़े बिना बैट्री एवं कैंडिडेट सेट सेक्शन के बटन का उपयोग न कर सकें।

⇨ एड्रेस टैग पर अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता यदि वे चाहें तो अपनी मुहर लगा सकते है।

⇨ सीयू को कैरिंग बॉक्स में डालकर एड्रेस टैग लगा देना है।

5. **मॉक पोल**

⇨ सीयू के स्विच को ऑन करके सभी अभ्यर्थी को कम से कम एक मत देकर मॉक पोल किया जाना है। पुनः क्लियर बटन दबाकर डाटा को क्लियर किया जाना है।

6. **विशेष लिफाफा (Special Envelop) तैयार करना**

पी.सी.सी.पी. को उपलब्ध कराने हेतु ईवीएम की कमीशनिंग के वक्त ही मतदान केन्द्रवार एवं पदवार बड़ा लिफाफा तैयार होगा जिसमें संबंधित मतदान केन्द्र का निविदत्त मतपत्र, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील, अतिरिक्त पिंक पेपर सील, अतिरिक्त एड्रेस टैग छोटे-छोटे लिफाफा में रखा होगा। इन सामग्रियों के वितरण से संबंधित पंजी **अनुबंध 04** में दिये गये प्रारुप के अनुसार संधारित किया जाना है।

7. कमीशनिंग के अवसर पर ही मतदान केन्द्रवार एवं पदवार BU तथा CU की आई डी संख्या एव पिंक पेपर सील की संख्या से संबंधित रजिस्टर तैयार किया जाएगा। रजिस्टर का प्रारुप **अनुबंध-2 एव 3** के अनुरुप होगा।

अनुबंध–2

पिंक पेपर सील का प्रयोग कर (B.U.) को सीलबंद करने संबंधी रजिस्टर का प्रारुप

1. जिला का नाम ....
2. नगर निकाय का नाम ....
3 पद का नाम ....
4. ईवीएम तैयारी का स्थान ....
5. दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि पिंक पेपर सील का प्रयोग करके बैलेटिंग यूनिट को सीलबंद करने का कार्य मेरी उपस्थिति में किया गया है। मैंने बैलेटिंग यूनिटों को सीलबंद करने के बाद पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर किए है तथा मैं बैलेटिंग यूनिटों को सील बंद करने के कार्य से संतुष्ट हूँ।

क्र0 सं0	B.U. की ID संख्या	Pink Paper Seal की संख्या	मतदान केन्द्र सं0 एवं नाम

क्र0 सं0	अभ्यर्थी/प्रतिनिधि का नाम	पद का नाम	हस्ताक्षर
1	2	3	4

(190)

अनुबंध-3

ईवीएम की कंट्रोल यूनिट (C.U.) को पिंक पेपर सील से सीलबंद करने संबंधी रजिस्टर का प्रारुप

1. जिला का नाम ....
2. नगर निकाय का नाम ....
3. पद का नाम ....
4. ईवीएम तैयारी का स्थान ....
5. दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि कंट्रोल यूनिटों को मेरी उपस्थिति में पिंक पेपर सील से सीलबंद किया गया है। मैंने कंट्रोल यूनिटों को सीलबंद करने के बाद पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर किए है, और मैं कंट्रोल यूनिटों की सिलिंग से संतुष्ट हूँ।

क्र0 सं0	C.U. की ID संख्या	प्रयुक्त Pink Paper Seal संख्या	मतदान केन्द्र सं0 एवं नाम
1	2	3	4

क्र0 सं0	अभ्यर्थी/प्रतिनिधि का नाम	पद के निर्वाचन से संबद्धता	हस्ताक्षर
1	2	3	4

प्रारुप अनुबंध-4

मतदान केन्द्रवार/पदवार(B.U./C.U.) विभिन्न टैग एवं पेपर सील आदि के वितरण/प्राप्ति से संबंधित पंजे

जिला का नाम .... नगर निकाय का नाम .... पद ....

क्र0	मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम	पद का नाम	बीयू की संख्या	पिंक पेपर सील सं0	सीयू की सं0	पिंक पेपर सील सं0	ईवीएम से होने वाले पदों का निविदत्त मतपत्र से तक कुल	ग्रीन पेपर सील सं0 से तक कुल	सुरक्षित ईवीएम तैयार करने हेतु ईवीएम का मतपत्र से तक कुल	स्पेशल टैग से तक कुल	स्ट्रिप सील सं0 से तक कुल	कुल आपूरित एड्रेस टैग	प्राप्तकर्त्ता पीसीसीपी दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर (पूरा नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

189

अनुबंध-5

ईवीएम के प्रतिस्थापन संबंधी प्रतिवेदन

(सेक्टर पदाधिकारी/जोनल दण्डाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रवार एवं पदवार भरा जाएगा।)

क. निर्वाचन का नाम :

ख. नगरनिकाय का नाम :

ग. पद का नाम :

(1) बनावटी मतदान के अवसर पर प्रतिस्थापन की स्थिति में :-

क्र0	मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम	आवंटित ईवीएम		प्रतिस्थापित ईवीएम		पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
		B.U. ID	C.U. ID	B.U. ID	C.U. ID	

(2) वास्तविक मतदान के अवसर पर प्रतिस्थापन की स्थिति में :-

क्र0	मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम	आवंटित ईवीएम		प्रतिस्थापित ईवीएम		पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
		B.U. ID	C.U. ID	B.U. ID	C.U. ID	

(3) अप्रयुक्त/दोषपूर्ण अप्रयुक्त ईवीएम :-

क्र0	BU की यूनिक आई.डी. संख्या	CUकी यूनिक आई.डी. संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित सूचना सही है।

सेक्टर/पदाधिकारी का

हस्ताक्षर

पदनाम ....

मेरे द्वारा अप्रयुक्त/ दोषपूर्ण अप्रयुक्त ईवीएम को सेक्टर पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त अंकित यूनिक आई.डी. का मिलान कर प्राप्त किया गया।

हस्ताक्षर

R.O./A.R.O.

186

अनुबंध-6

ई.वी.एम. प्रतिस्थापन संबंधी प्रतिवेदन संख्यात्मक प्रतिवेदन

जिला ....

क्र0	नगर निकाय का नाम	पद का नाम	बनावटी मतदान के अवसर पर प्रतिस्थापित		वास्तविक मतदान के अवसर पर प्रतिस्थापित	
1	2	3	4		5	
			BU	CU	BU	CU
1.		क. नगर पंचायत, पार्षद				
		ख. नगर पंचायत, उप मुख्य पार्षद				
		ग. नगर पंचायत, मुख्य पार्षद				
2.		क. नगर परिषद, पार्षद				
		ख. नगर परिषद, उप मुख्य पार्षद				
		ग. नगर परिषद, मुख्य पार्षद				
3.		क. नगर निगम, पार्षद				
		ख. नगर निगम, उप मुख्य पार्षद				
		ग. नगर निगम, मुख्य पार्षद				

जो लागू न हो, उसे काट दें।

उपरोक्त प्रतिवेदन अनुबंध-5 के आधार पर तैयार किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)